फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

रिलायन्स एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कं॰ लि॰ बनाम चन्द्र कला

प्रकरण संख्या 92/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
27.09.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय कम्पनी की ओर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय कम्पनी की ओर से धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत फर्द प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी वित्तीय कम्पनी ने दिनांक 24.03.2017 को मैग्मा कम्पनी से असाइन्मेन्ट किया है, जबकि सम्पत्ति पर माननीय उपभोक्ता मंच संरक्षण जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 23.02.2016 से स्थगन जारी किया हुआ है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लौटाया जाता है। प्रार्थी वित्तीय कम्पनी माननीय उपभोक्ता मंच संरक्षण से आदेश होने पर तदनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	